

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 121/2016

बउनवान

प्रकाश पुत्र श्री गोबरीलाल आयु 50 साल जाति-माली निवासी-बड़ा तहसील-बारां जिला-बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पॉडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :- 1. श्री लक्ष्य भारद्वाज, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पॉडेंट)

निर्णय दिनांक - 21.01.2019



1- अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 21.04.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-बड़ा, तहसील-बारां की आराजी ख०नं० 1087 कुल रकबा 0.30 है०, किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमी मानकर, बेदखली, 150/-रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है। ना ही अपीलांट को कभी बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नितान्त असत्य तथ्यों पर आधारित है। वर्णित आराजियात् पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने में भारी भूल की है। अपीलांट को निर्णय की जानकारी दिनांक 21.04.2014 को पुलिस द्वारा अपीलांट को घर तलाश करने पर हुयी तब अपीलांट ने जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश की है। धारा-5 लिमिटेशन का प्रार्थनापत्र पेश किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2- इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3- बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित

2-
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। साथ ही कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध निर्णय एकतरफा निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।


4- इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 241/12 निर्णय दिनांक 21.03.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।



5- हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। किन्तु अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। विवादित आराजी गै.मु. रास्ता है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 241/02 निर्णय दिनांक 21.03.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी गै.मु. रास्ता पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6- परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 1103/15 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।


(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)